महत्वपूर्ण

सख्या –2548 /60–2–2016–2/1(23)/13 T-C

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर, 2016

विषय–बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को विभागीय कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1161/60–2–2013–2/1 (23)/13 दिनांक 09 अक्टूबर 2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने व विभाग के वाहनों के अन्यत्र उपयोग न किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

2– अवगत है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सहित कुल छः प्रकार की महत्वूपर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही है । इसी कम में प्रदेश सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चेां एवं गर्भवती महिलाओं को गरम पका–पकाया भोजन, फल आदि खिलाने हेतु आगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हौसला पोषण कार्यकम का संचालन किया गया है । शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त आदेशों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जा रहा है और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों /सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागो के कार्य भी कराए जा रहे हैं, जिससे कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के उक्त महत्वपूर्ण तथा समयबद्ध प्रकृति के कार्यो के कियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में भारत

सरकार द्वारा भी कड़ी आपत्ति की गई है ।

3– अतः इस संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 09–अक्टूबर, 2013 में दिए गए निर्देशानुसार आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जायें ।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या–2548 (1)/60–2–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यदि जनपदों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को अपनी संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव।